



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभागीय ग्वालियर मध्य प्रदेश

राजस्व प्रकरण क्रमांक निगरानी-5387/2018/छतरपुर/अ.स. सन् 2018

1-रज्जू पुत्री हरजू लोधीपत्नी कामता लोधी

निवासी ग्राम बिदियन तहसील बडामलहरा जिला-छतरपुर

म०प०

--- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1-जशारोरा वेवा हरजू लोधी

निवासी ग्राम बिदियन तहसील बडामलहरा जिला-छतरपुरम०प०

2-स्वामी तनय हरजू लोधी

निवासी ग्राम बिदियन तहसील बडामलहरा जिला छतरपुरम०प०

----- अनावेदकगण

श्री श्री श्री चतुर्वेदी अ.स.  
द्वारा आज दि. 04-9-18  
पस्तुत। प्राथमिक तर्ज. छ.  
दिनांक 07-9-18 निचल।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०भू०रा०संहिता

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बडामलहरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 97/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23.8.2018 से दुखित होकर ।

01

3

--- निगरानी पस्तुत कर सादर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5387/2018/छतरपुर/भू.रा.

रज्जू विरूद्ध जशोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 97/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 18/2/2019</p>